



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार Ministry of Textiles -ü Govt. of India)
के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
C S B Complex, B T M Layout, Madivala,
बेंगलूरु BENGALURU - 560 068

सं.नो.केरेबो CSB-23(5)(1)/95-96-हिन्दी Hindi

दिनांक Date : 03.01.2012

परिपत्र Circular

विषय : उन कार्यालयों में जहाँ हिन्द पद नहीं है, राजभाषा कार्यान्वयन का अतिरिक्त कार्यभार सँभालने हेतु किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में ।

Sub : Granting of Incentive amount to any one Officer/Employee for carrying out the additional responsibility of Implementation of Official Language in the Offices where there is no Hindi Post – reg.

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के परिपत्र, सं.केरेबो-7(2)/95-96-हिन्दी दिनांक 18.02.1997 तथा सं.केरेबो-23(5)/95-96-हिन्दी दिनांक 02.08.1999 के क्रम, में अपने सौंपे गए कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन का अतिरिक्त कार्यभार सँभालने वाले किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को दी जा रही 100/-रु (एक सौ रुपये मात्र) की मौजूदा प्रोत्साहन राशि को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से बढ़ाकर 300/-रु (तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह कर दिया गया है । अतिरिक्त कार्य में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, धारा 3(3) का अनुपालन करना, हिन्दी पत्राचार करना, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन करना, कार्यसूची एवं तत्संबंधी कार्यवृत्त तैयार करना, हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण व आशुलिपि), हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा, हिन्दी कार्यशाला की व्यवस्था करना, राजभाषा हिन्दी हेतु वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त करना, आदि शामिल है ।

Further to this Office Circular No.CSB-7(2)/95-96-Hindi dated 18.02.1997 and No.CSB-23(5)/85-96-Hindi dated 02.08.1999 on the subject cited above, the existing Incentive amount of Rs.100/-(Rupees one hundred only) per month being given to any one Officer/Employee, who carries out additional responsibility of Official Language in addition to his/her assigned work, has been enhanced to Rs.300/- (Rupees three hundred only) per month w.e.f. 1st January, 2012. The additional work includes furnishing of quarterly Report regarding progressive use of Hindi, complying with Section 3(3), Hindi Correspondence, organizing of quarterly meeting of Official Language Implementation Committee, preparation of Agenda and Minutes thereof, organising of Hindi Training (Language, Typing & Stenography), Hindi Day /Week/Fortnight, Hindi Workshop, achieving of all targets fixed in Annual Programme, etc.

उक्त प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के किसी भी इकाई जहाँ हिन्दी पद नहीं है, में सौंपे गए उपरोक्त कार्य के लिए किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान योग्य है ।

The above incentive is payable to any one Officer/Employee entrusted with the above task in any Unit of Central Silk Board where there is no Hindi post.

यह सदस्य-सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of the Member-Secretary.

(Handwritten signature)

(गो.कृ. उण्णितान G.K. UNNITHAN)

संयुक्त निदेशक(प्रशा.)JT. DIRECTOR (ADMN.)

सेवा में To

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी कार्यालय

All Offices of Central Silk Board